

प्रेस नोट

दिनांक 30.03.2025

थाना अमरिया

थाना अमरिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 357 ग्राम अवैध चरस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थ के क्रय/विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.03.2025 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो० अंजूम पुत्र अब्दुल हमीद उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम कैचूटाण्डा थाना अमरिया जनपद पीलीभीत को 357 ग्राम अवैध चरस के साथ ग्राम कैचूटाण्डा रोड पर बन्द ईट भट्टे के बने मकान के पास चकरोड से गिरफ्तार कर थाना अमरिया पर मु०अ०सं० 84/2025 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मो० अंजूम पुत्र अब्दुल हमीद उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम कैचूटाण्डा थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 0427/2013 धारा 279, 304ए, 427 भादवि थाना अमरिया, पीलीभीत
2. मु०अ०सं० 0230/2020 धारा 3, 25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरिया, पीलीभीत
3. मु०अ०सं० 1075/2020 धारा 135 विद्युत अधिनियम एंटी पावर थेफ्ट थाना पीलीभीत
4. मु०अ०सं० 0232/2022 धारा 3, 25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरिया, पीलीभीत
5. मु०अ०सं० 0084/2020 धारा 8, 20 NDPS ACT थाना अमरिया, पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० ज्ञानेश्वर कुमार
2. हे०का० अनिल कुमार
3. का० अजय राजौरा
4. का० मोहित पुंडिर
5. का० अंकुर